संचिका संख्या–7 स्था0 (5) वर्ग–04–03/2018....2016 (नि)

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

प्रेषक,

एन0 विजयलक्ष्मी, भा0प्र0से0,

अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

औरंगाबाद।

पटना–15, दिनांक–.........28/05.../2025

विषय :– श्री बोधनारायण सिंह, सेवानिवृत्त विशिष्ट परिचारी के संविदा पर नियोजन को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि प्रान्तीयकृत पशु औषधालय, औरंगाबाद के पत्रांक 284, दिनांक 20.12.2024 एवं पत्रांक 80, दिनांक 08.04.2025 के द्वारा श्री बोधनारायण सिंह, सेवानिवृत्त विशिष्ट परिचारी के दो साल तक संविदा के आधार पर नियोजित के फलस्वरूप संविदा सेवाएँ आवंटन की माँग की गयी है।

पत्र में उल्लेखित है कि जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक 869/स्था0, दिनांक 30.11.2024 के द्वारा संविदा नियोजित किया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक 15308, दिनांक 25.09.2024 के द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि *"सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा राज्य कर्मियों को वेतनमान सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन अथवा अवधि विस्तार करने की आवश्यता अपेक्षाकृत न्यून हो गई है।*

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि भविष्य में राज्य स्तरीय/विभाग स्तरीय/प्रमंडल स्तरीय/जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संबंधित चयन समिति को अग्रसारित करने के पूर्व प्रासंगिक संविदा नियोजन/अवधि विस्तार की आवश्यकता/औचित्य की समीक्षा कर ली जाय एवं कार्य विशेष के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मियों की अपरिहार्यता के बिन्दु पर सुस्पष्ट अभिमत गठित करते हुए प्रस्ताव अनुशंसा के साथ संबंधित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

साथ–ही पूर्व में राज्य स्तरीय/विभाग स्तरीय/प्रमंडल स्तरीय/जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा संविदा नियोजन हेतु अनुशंसित कर्मियों का भी अवधि विस्तार करने के पहले उसकी आवश्यकता/औचित्य की समीक्षा करने के उपरान्त ही सामान्य प्रशासन विभाग के

संकल्प ज्ञापांक 10000, दिनांक 10.07.2015 के कंडिका–03 (2) (क) (V) के तहत अवधि विस्तार से संबंधित आदेश सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।"

विदित है कि परिचारी संवर्ग के कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, पशुपालन है और बिना नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त किये चयन समिति को अनुशंसा किया जाना अथवा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी–सह–समहर्त्ता, औरंगाबाद के ज्ञापांक 869, दिनांक 30.11.2024 के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित किये गये श्री बोधनारायण सिंह, परिचारी, प्रान्तीयकृत पशु औषाधालय, औरंगाबाद की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

27/5/25
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 7 स्था0 (5) वर्ग–04–03/2018 2016 (नि) पटना–15, दिनांक– 28/05/2025

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पशु शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25
अपर मुख्य सचिव।